



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 06.09.2021

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को 01 चाकू नाजायज सहित किया गिरफ्तार

दिनांक 05.09.2021 को समय 23.50 बजे मुखर्जी पार्क मैन गेट के पास थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त अब्दुल पुत्र अनवर निवासी मौ0 दर्जियान पसगांव जिला लखीमपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ है।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1500/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अब्दुल पुत्र अनवर निवासी मौ0 दर्जियान पसगांव जिला लखीमपुर उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

01 चाकू नाजायज।



दिनांक-06.09.2021---- थाना कविनगर (गाजियाबाद)

थाना कविनगर पुलिस द्वारा घर में चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया कब्जे से चोरी का मोनीटर, प्रिन्टर व फैंक्स मशीन व दो चाकू नाजायज बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा घरों में चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1485/21 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 05.09.21 को समय 23.55 बजे सैक्टर 7 का पार्क राजनगर थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण (1) मोहित पुत्र सिपाही लाल वर्मा निवासी 8/63 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद व (2) अनिल पुत्र पप्पू निवासी 101 सैक्टर 6 भारत बिल्डिंग थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी का एक कम्प्यूटर मोनीटर, एक प्रिन्टर व एक फैंक्स मशीन व एक-एक चाकू नाजायज बरामद हुए अभियुक्त गण से बरामद नाजायज चाकू

के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 1501/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 1502/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध अस्लाह के बल पर घरों में चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) मोहित पुत्र सिपाही लाल वर्मा निवासी 8/63 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
- (2) अनिल पुत्र पप्पू निवासी 101 सैक्टर 6 भारत बिल्डिंग थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

चोरी का एक कम्प्यूटर मोनीटर, एक प्रिन्टर व एक फैक्स मशीन सम्बन्धित अ0सं0 1485/21 धारा 380/411 भादवि

दो चाकू नाजायज

अभियुक्त मोहित का आपराधित इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 1485/21 धारा 380/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2-मु0अ0सं0 1501/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3-मु0अ0सं0 897/18 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।

अभियुक्त अनिल का आपराधित इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 1485/21 धारा 380/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2-मु0अ0सं0 1502/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3-मु0अ0सं0 813/20 धारा 188 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा लूट करने वाले दो शातिर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया
कब्जे से लूट के 10300/- रुपये बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1506/21 धारा 392 भादवि मे वाछित अभियुक्त (1) सुहैल पुत्र वाजिद निवासी सुभाष गेट वार्ड नं0 17 थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड व (2) निजाम पुत्र असलम निवासी सुजातपुर थाना मीरगंज जिला बरेली को दिनांक 06.09.21 को समय 10.30 बजे सिविल लाईन पुलिस चौकी के पास थाना क्षेत्र कोतवाली गाजियाबाद से मुखबिरा की सूचना पर गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूटे गये 10300/- रुपये बरामद हुए। जिनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिनके द्वारा अपने साथी बन्टी के साथ मिलकर वादी मुकदमा श्री राजीव शर्मा पुत्र ब्रहम सिंह शर्मा निवासी मटोला गांधीनगर लंकापुरी मोदीनगर गाजियाबाद से वादी का मोबाइल फोन व 13500 रुपये व माल की बिल्टी के कागजात छीन लिये जिसके सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर दिनांक 06.09.21 को मु0अ0सं0 1506/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया एवं थाना कविनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लूट करने वाले अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) सुहैल पुत्र वाजिद निवासी सुभाष गेट वार्ड नं0 17 थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड उम्र 22 वर्ष।
- (2) निजाम पुत्र असलम निवासी सुजातपुर थाना मीरगंज जिला बरेली उम्र 25 वर्ष।

नाम पता फरार अभियुक्त -

बन्टी पुत्र हेमचन्द निवासी दौलतपुरा भाटिया मोड थाना कोतवाली गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण -

लूटे गये 10300/- रुपये

अभियुक्त गण का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1506/21 धारा 392/411 थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त गण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



प्रेस नोट-

थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सनसनीखेज हत्याकाण्ड का वाँछित अभियुक्त आजाद उर्फ रहीमुद्दीन मय नाजायज छुरा (आलाकत्ल) के गिरफ्तार

दिनांक 06-09-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में वाँछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार की टीम द्वारा दिनांक: 06-09-2021 को सादिक की पुलिया से गिरफ्तार कर वाद पूछताछ अभियुक्त की निशादेही पर छुरी (आलाकत्ल) बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 876/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत है।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:

पकड़े गये अभियुक्त आजाद उर्फ रहीमुद्दीन पुत्र फहीमुद्दीन ने पूछताछ पर बताया कि मेरा छोटा भाई लालू उर्फ फरीमुद्दीन शराब पीने का आदी था एवं शराब पीने के बाद मेरे परिवार को अपशब्द बोलता था तथा मेरे परिवार की महिलाओं पर गलत नजर रखता था। दिनांक 03.09.2021 को भी मेरे भाई लालू ने शाम के समय शराब पीकर गलत हरकते की थी इसी कारण मैंने कबाडी मार्केट में उसका कत्ल कर दिया।

नाम व पता अभियुक्त :-

आजाद उर्फ रहीमुद्दीन पुत्र फहीमुद्दीन निवासी मैन बाजार कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त :-

1. मु0अ0सं0 0876/ 2021 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 886/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम :-

1. प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 श्री इमाम जैदी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र पाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
4. हैड कांस्टेबल 599 मानवेंद्र थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
5. हेड कांस्टेबल 1380 भगत सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
6. का0 321 गौरव कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
7. का0 281 सतीश मावी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
8. का0 जितेश राजौरा 2127 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 48 पच्चे देशी शराब क्रेजी रोमियो अरुणाचल प्रदेश मार्का शराब सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब अभियान के दौरान शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त फरमान पुत्र सलीम नि0 गिरी मार्किट महिपाल स्कुल के थाना लोनी गा0बाद को दि0 06.09..2021 को मिल्क गुजरान ढलान से 48 पच्चे क्रेजी रोमियो अरुणाचल प्रदेश मार्का नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

फरमान पुत्र सलीम नि0 गिरी मार्किट महिपाल स्कुल के थाना लोनी गा0बाद

अ0सं0 1274/2021 धारा 60/63 एक्साइज एक्ट थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री अनंगपाल सिंह
- 2- का0 769 मनीष कुमार

बरामदगी का विवरण:-

48 पच्चे देशी शराब नाजायज अरुणाचल प्रदेश मार्का



थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 06.09.2021 को पुस्ता रोड मिल्क गुजरान कट से अभियुक्त जाकिर अली पुत्र इस्लामूद्दीन नि0 म0न0 302 गिरी मार्किट लोनी गा0बाद को एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

● गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता एवं आपराधिक इतिहास -

जाकिर अली पुत्र इस्लामूद्दीन नि0 म0न0 302 गिरी मार्किट लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 1267/21 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

एक अदद नाजायज चाकू बरामद

● गिरफ्तार करने वाली टीम -

उ0नि0 श्री अनंगपाल सिंह चौकी प्रभारी डीएलएफ थाना लोनी

उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना लोनी

का0 769 मनीष कुमार

थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 06.09.2021 को चार खम्बा मोड चोकी क्षेत्र कस्बा से अभियुक्त शहजाद उर्फ सीटू पुत्र युनूस नि0 परशुराम मन्दिर के पास सरस्वती विहार लोनी गा0बाद अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

● गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता एवं आपराधिक इतिहास -

शहजाद उर्फ सीटू पुत्र युनूस नि0 परशुराम मन्दिर के पास सरस्वती विहार लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 1270/21 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

एक अदद नाजायज चाकू बरामद

● गिरफ्तार करने वाली टीम -

उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना लोनी

है0का 993 विनोद कुमार

है0का0 1427 सुरजीत सिंह

का0 1576 रोबिन सिंह

थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त मय 02 अदद तमंचा .315 व 02 कारतूस के गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 नफर अभियुक्त 1. पंकज पुत्र महेन्द्र नि0 पुष्पांजली विहार थाना लोनी लोनी बार्डर गा0बाद 2. राहुल कश्यप पुत्र दिनेश नि0 विकास कुंज शान्तिनगर लोनी बार्डर गा0बाद को 01-01 तमंचा .315 बोर व 01-01 कारतूस .315 बोर नाजायज सहित दिनांक

06.09.2021 को शेल्टर हॉम के सामने बन्द फाटक के पास चौकी क्षेत्र रुपनगर से गिरफ्तार किया गया ।
आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

1. पंकज पुत्र महेन्द्र नि० पुष्पांजली विहार थाना लोनी लोनी बार्डर गा०बा

मु०अ०स० 1272/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गा०बाद

2. राहुल कश्यप पुत्र दिनेश नि० विकास कुंज शान्तिनगर लोनी बार्डर गा०बाद

3. मु०अ०स० 1273/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गा०बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ० नि० श्री विजय कुमार यादव चौकी प्रभारी रुपनगर थाना लोनी
2. है०का० 2171 राकेश कुमार
3. का० 2506 नीरज कुमार
4. का० 3770 प्रशान्त कुमार

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद तमंचा.315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस नाजायज (अभि० पंकज से बरामद)

एक अदद तमंचा.315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस नाजायज (अभि० राहुल कश्यप से बरामद)



थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक
चाकू नाजायज बरामद

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 06.09.2021 को बलरानगर कट से अभियुक्त आरिफ उर्फ रोकी पुत्र नौशाद नि० गिरी मार्किट डाबर तालाब के पास लोनी गा०बाद को एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

● गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता एवं आपराधिक इतिहास -

आरिफ उर्फ रोकी पुत्र नौशाद नि० गिरी मार्किट डाबर तालाब के पास लोनी गा०बाद

मु०अ०सं० 1269/21 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

एक अदद नाजायज चाकू बरामद

- गिरफ्तार करने वाली टीम -

उ०नि० श्री अमित शर्मा चौकी प्रभारी डाबर तालाब थाना लोनी
है०का० 209 अनिल कुमार